SHRI NAMBIAR : I beg to move :

Page 1,—

for the Long Title

substitute—

"A BILL to abolish the employment of contract labour in certain establishments and for matters connected therewith." (82)

The long title of the Bill is Contract Labour (Regulation and Abolition) Bill. I want that "Regulation" should be taken away and only "Abolition" should stand. After accepting all these clauses, I agree that it is more of regulation than abolition. But I have a wish that abolition must take place. I want to give importance to abolition. The minister built up the entire case on the edifice of clause 10.

Clause 10 deals with abolition. If that is the purpose for which he is bringing the Bill, let it be called Contract Labour Abolition Bill. He wants piecemeal abolition. Let this be the beginning of the abolition of contract labour. Let us see that the process of abolition begins so that it can be completed in a short time. So, let us dedicate this Bill to the purpose of abolition and call it by that name.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will now put the amendment of Shri Nambiar to the vote of the House.

Amendment No. 82 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Title was added to the Bill.

SHRI D. SANJIVAYYA : I beg to move :

"That the Bill, as amended, be passed"

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill, as amended, be passed"

The motion was adopted.

16.37 hrs.

DELHI SHOPS AND ESTABLISHMENTS (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : I beg to move :

"That the Bill further to amend the Delhi Shops and Establishments Act, 1954, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The Delhi Shops and Establishments Act, 1954 was enacted by the then Delhi Legislative Assembly. The Act regulates the hours of work, payment of wages, grant of leave and holidays, terms of service and other conditions of work, of persons employed in the shops, commercial establishments, establishments for public entertainment and other such establishments. The Act which extends to the whole of the Union Territory of Delhi has been in force since 1st February, 1955 and is administered by the Delhi Administration. It was last amended through Parliament in May, 1961.

The Bill under consideration has been framed to meet certain difficulties that have been experienced in the working of the Act. The proposals for amendment embodied in the Bill have had the approval of Delhi's Metropolitan Council and Executive Council.

I shall briefly refer to some of the more important proposals.

It is proposed to redefine the term "employee" to cover apprentices, piece-rate workers and persons employed on commission basis who were not included in the Act. Section 10 of the Act is proposed to be elaborated to provide that the interval fo

rest and meals shall be fixed by the employer and intimated to the Chief Inspector. Another proposal is to take away the discretion from employers to choose "close day" and to vest in the Government the power to specify by notification the "close day", locality-wise, trade-wise or uniformly for the whole of the Union Territory of Delhi.

It is also proposed to provide that a claim application arising out of delayed payment or non-payment of wages can also be filed by any official of a registered trade union if authorised in writing by the employee and to increase the time limit for filing claims from six months to twelve months. The ceiling for accumulation of privilege leave is to be raised from thirty days as at present to fortyfive days. It is also proposed to provide for grant of sickness or casual leave in proportion to the period of service rendered in a year. Such a provision does not exist in the Act now. At present, the employee is prohibited from contracting out of the benefits of the Act only with regard to wages for the closed day, the holidays and the days of leave. It is now proposed to prohibit contracting out of any of the benefits extended by the Act.

Sir, it is a very simple amending Bill and I commend it for the consideration of the House.

SHRI B. P. MANDAL (Madhepura) : On a point of order, Sir. I draw your attention to Rule 75(2) which says :

> "At this stage no amendments to the Bill may be moved, but—
>
> (a) if the member in charge moves that the Bill be taken into consideration, any member may move as an amendment that the Bill be referred to a Select Committee......"

So, at this stage, I can move my amendment for referring the Bill to the Select Committee. There is my amendment.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Yes, you may move your amendment now, if you want.

SHRI B. P. MANDAL : I beg to move

> "That the Bill further to amend the Delhi Shops and Establishments Act, 1954, as passed by Rajya Sabha, be referred to a Select Committee consisting of 14 members, namely :—
>
> 1. Shri Bhagwat Jha Azad
> 2. Shri Benoy Krishna Daschowdhury
> 3. Shri Kanwar Lal Gupta
> 4. Shri Hem Barua
> 5. Shri Bhogendra Jha
> 6. Shri K. Lakkappa
> 7. Shri Yamuna Prasad Mandal
> 8. Shri Nirel Enem Horo
> 9. Shri N. G. Ranga
> 10. Shri Raghuvir Singh Shastri
> 11. Shri Ramavatar Shastri
> 12. Shri Digvijaya Narain Singh
> 13. Shrimati Tarkeshwari Sinha ; and
> 14. Shri Gunanand Thakur.
>
> with instructions to report by the 16th November, 1970" (53)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The motion and the amendment for referring the Bill to the Select Committee are before the House.

SHRI J. MOHAMED IMAM (Chitradurga) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Delhi Shops and Establishments Act was passed in 1954 and since then it has been in operation.

This is the legislation which is intended to protect the interests of persons who are employed in various business concerns and shops. There are three parties who are

[Shri J. Mohamed Imam]

intimately concerned with the operation of this Bill. Firstly, the shop-owners or businessmen ; secondly, the employees and, thirdly, the general public. It is desirable to find out what is the reaction from each of these sections. The Minister in charge of the Bill just now said that this amending Bill has the approval of the Delhi Metropolitan Council and, perhaps, the Municipal Committee. I would like to know if he has ascertained the views of the three parties concerned, that is, the shop-owners, the employees and the general public.

16.43 hrs.

[SHRI SHRI CHAND GOYAL] *in the Chair*]

Sir, it would have been very desirable and prudent on his part if he had ascertained from them the various difficulties that are encountered by them in the enforcement of this Act. The Government does not think of consulting persons who are affected by this Act. 15 years have elapsed. It would have been better if he had ascertained the reactions of these three organs which are directly and intimately concerned with the operation of the Act. Regarding this amending Bill or any other amendment that may be proposed by the Government, it is always a wise policy to have previous consultation with the parties concerned that are directly and immediately affected by it and then bring in a comprehensive amending Bill instead of bringing it in a piecemeal manner.

Regarding the Act, I would like to express some of the doubts or misgivings that have been entertained. For example, there is the term "commercial establishment". Now, that includes any business concern or a shop or a place where business is done, cinema house, hotel and various other places. In fact, this Act gives very wide powers to the Government and the Government is empowered to include any establishment that is not included in the definition. They may include petty shops or shops which are purely run and managed by the owners or any petty merchants who sell their goods in an open place. If this is done, it will be a great hardship to these petty shop-keepers and it will give an occasion for all those officers or inspectors to harass them or even to misuse their power.

I submit it is always desirable to apply the Act to only such concerns where there are regular employees. For example, there are any number of shops which are run only by the owner himself. In fact, an employer means a person who has employed persons. If there are no employees, then that shopkeeper cannot be called an employer. But according to this Act, a business concern or shop, even though there are no employees there, comes under the operation of this Act. In fact, what is the difference between a shopkeeper and an employer ? A shopkeeper is one who may have employees or who may not have employees. Of course, this Act should apply to a concern where there are a number of employees but if there are no employees at all and it is a small shop purely run and managed by the owner himself, then, I think, this Act should exempt such small shops, especially hawkers. I hope the Minister will consider this submission. They must give certain amount of latitude to such petty shopkeepers and others who have no employees at all in their concerns.

Again it is intended to include apprentices among the employees. Apprentices come on their own accord. They want to learn a trade or a business. Many of them want to get in without any remuneration. It is in the interests of the employees that they get in there. We must create the condition and environment that more persons are recruited as apprentices. But if you seek to apply this Act to apprentices also, then the shop-owner or the business people may hesitate to recruit more employees. So I am anxious that more apprentices should get in and learn the trade and should be trained in business concerns. But it should not be an additional burden on the owner to recruit him in the same way as a regular employee. Employee is one who receives regular monthly payment. He has certain obligations, but that is not the case with an apprentice. Apprentice goes there to learn work. He goes there voluntarily and all these rigours of the law should not be applied in the case of an apprentice.

Again I must submit regarding the

definition of employees who work there day and night. There may be employees who work piecemeal and on piece rates. Do you want to include the employees who work on commission ? There may be employees who are not regularly attending the shop and who are not in the same place where the shop is situated. They may be posted to work as commission agents. Is it your intention that the benefit of this Act should go to these persons who work on commission basis ? They come under a separate category and under a separate agreement. But, here, if you include the commission agents also, it will create a good deal of complication. Various business concerns have got their own commission agents residing in different places, not merely in Delhi. There are many number of shops here in Delhi who have their own agents. In fact a business concern at Mysore may have its agents here. If you want to include these persons who are working on commission basis, then it will create more complication.

One radical change I find in this Act is this, regarding fixing of the closed days. Under the present Act the occupier or the owner of the shop was entitled to declare his own holiday. He would select a day convenient to him and convenient to the public on which the shop is to be closed.

Now, the Government wants to take the power to declare on which day the shop should be closed. They want to take away the discretionary power of the shop-keeper. This will work very harshly so far as the general public is concerned. I wish to give one example.

Take the case of the various restaurants and hotels. They must be kept open every day. That is to be kept open in the interest of the public, in the interest of the floating population, in the interest of the tourists. That is why many of these hotels and restaurants come to some understanding among themselves and they decide on which day which hotels will be closed. If there are 100 hotels in one place, they decide 10 or 15 hotels will be closed on a particular day and the rest will work. The rest 10 or 15 will be closed on the next day and so on. By this arrangement it will be ensured that some hotels and restaurants will be open so that they may be able to cater to the needs of the general public while at the same time ensuring that the employee of each and every hotel or restaurant is assured of one closed day holiday every week.

If the Government takes away this discretionary power of the shopkeeper, if they want to issue a notification on which day a shop should be closed, I think, it will be a source of great hardship not only to the shopkeepers but to the workers and to the general public. Therefore what I submit is that the present system may be continued. And, determining which day should be a closed day for any shop should rest with the proprietor, with the owner or with the shop-keeper as at present.

Sir, we are always sympathising with the aspirations and demands of the workers and the labourers and I find here in this Bill due provision is made for giving them the facility of privilege leave, casual leave, sick leave, etc.

Lot of persons work in concerns all their lives ; when they come back after retirement, what is it that is there for them to fall back upon ? There is no provident fund ; there is no provision for pension. When a person has worked for some number of years, I think, such facility must be given to him. Some portion of provident fund may be contributed by the owner himself and another portion by the employee as is the case in many factories. In England and other places, where people work in so many concerns, they do make a provision that on the retirement of a worker he will be entitled to a life-pension etc. The concern which employs him, makes certain contribution for this old age pension every month. The employee also is expected to make a contribution and thus the amount gets accumulated in the Fund, he gets the benefit on his retirement. He is given a life pension and old age pension and he remains happy till his death.

Our Government in India, in spite of their tall talk of socialism, have not taken any steps to introduce life pension or old age pension to those employees who are working in non-Governmental concerns.

[Shri J. Mohamed Imam]

These are some of the factors which I desire to point out.

With these observations I wish to reiterate the stand of our party that we always help and sympathise with the aspirations of those workers who are not very well placed. Thank you.

MR. CHAIRMAN : I would like to tell Shri B.P. Mandal that I have got his letter already. His motion for reference of the Bill to a Select Committee has already been moved. At present consideration motion is being discussed, and at the end, when all Members have spoken, he will be given a chance to speak in support of his motion, and then it can be put to vote also, if he likes, not in the midst of the present discussion.

श्री शशि भूषण (खारगोन) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। खास तौर से सरकार पर सामाजिक न्याय करने के सम्बन्ध में यह एक जिम्मेदारी आ जाती है क्योंकि हमारी एक वेलफेअर स्टेट है और हम समाजवादी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं।

आप जानते हैं कि पिछले दिनों तक बड़े-बड़े दूकानदार, जो भी हों, इतनी अधिक तादाद में लोगों की कम तन्ख्वाह पर दूकानों पर रखते थे और उन का शोषण करते थे, जिसका ठिकाना नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक उनसे काम कराते थे और दूकानों में काम करने वाले लोगों की दशा ऐसी होती थी मानों वह लेंडलेस लेबरर हों। सरकार ने पहले कानून बनाया, उसके बाद उसमें संशोधन किया। अब उनको थोड़े से अधिकार मिले हैं छुट्टियों के सम्बन्ध में और इस सम्बन्ध में कि उनकी तन्ख्वाह उनको समय पर मिले और छुट्टी के दिन निर्धारित हों। यह कुछ अच्छे कदम हैं। लेकिन यह बहुत बड़ा मसला है।

जब हम दूकानों और दूसरे इदारों को सामने रखते हैं तो पाते हैं कि अभी इस कानून में बहुत सी चीजें छूट गई हैं। मुझे आशा है कि अगर इस बार नहीं तो भविष्य में कभी उन प्रान्तों को हमको लेना ही होगा। मिसाल के तौर पर जहां इंडस्ट्रियल ऐक्ट लागू नहीं होता, जैसे जिमखाना क्लब है, चेम्स्फोर्ड क्लब है, वहां बेअरर्स से जानवरों से भी ज्यादा काम लिया जाता है, जो वहां के स्टोर कीपर तथा अन्य कर्मचारी हैं उनसे भी उसी तरह काम लिया जाता है, रात को दो-दो बजे तक क्लब चलते हैं, और वहां जो कुछ होता है उसका वर्णन मैं यहां नहीं करना चाहता। कहीं-कहीं तो यह होता है कि जिम्मेदार अधिकारी लोग उनके सेक्रेट्री या अध्यक्ष होते हैं, जिनमें आई० सी०एस० अधिकारी भी होते हैं। जब वह शाम से लेकर रात तक वहां बैठे रहते हैं तो उन्हें कभी इसकी चिन्ता नहीं होती कि जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक काम करता है वह कितना काम करेगा। उन लोगों को तो यूनियन बनाने का भी अधिकार नहीं। वह जब चाहें कर्मचारियों को निकाल दें और जब चाहें रख लें, हैरानी है। फिर वह इस ऐक्ट की तहत नहीं आते।

इसी प्रकार के और भी क्लब होते हैं, नाइट क्लब होते हैं शहरों में। दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने और दूसरे पार्लियामेंट के सदस्यों ने भी कहा है कि डिफेन्स तथा अन्य कालोनिज में क्या-क्या होता है। मैं उनके डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन जो लोग वहां काम करते हैं उनके प्रति आपकी हमदर्दी जरूर होनी चाहिए, चाहे वे नाचने वाले हों या बजाने वाले हों अर्थात् दर्शकों के अलावा जो भी कर्मचारी होते हैं।

जो आढ़ती होते हैं उनसे भी आप वाकिफ हैं। आप जानते हैं कि उनके यहां जो हमवाल बोरी ढोने वाले होते हैं उन्हें सुबह से लेकर शाम तक जानवरों की तरह काम करना होता है। इसी तरह से ठेले वाले होते हैं जो कि थोक के व्यापार से सम्बन्धित होते हैं। यह लोग इस बिल के तहत नहीं आयेंगे। उनको भी आपको किसी न किसी रूप में इस बिल के अन्दर लाना चाहिए क्योंकि आखिर वह भी तो इस देश के

नागरिक हैं, उनके भी अपने कुछ अधिकार हैं ।

इसी तरह से घरों में काम करने वाले घरेलू कर्मचारी हैं । सुबह से लेकर बारह बजे रात तक घरेलू देवियां उनसे काम लेती हैं । कई बार तो उनको पांच-पांच और छः-छः सात तक तन्ख्वाह नहीं दी जाती हैं और उसके बाद जबर-दस्ती धक्के देकर निकाला जाता है । पिछले दिनों इसी शहर में कपड़े उतारकर नंगा एक घरेलू कर्मचारी को शहर में घुमाया गया । कई बार शराब पीकर क्लबों में रईस लोग उनपर इतने नाराज होते हैं कि बुरी तरह मारते हैं और कइयों को तो इतना मारा गया कि उनकी जानें चली गईं । कई बार यह हुआ कि साहब नौकर को कोठरी में बन्द करके चले गए, उसके बाद उसकी याद नहीं रही और तीसरे चौथे दिन, दम घोट वह मर गया । जब इस तरह से होता है तब किसी न किसी तरह से यह केसज खत्म कर दिए जाते हैं । क्योंकि बहुत बड़े-बड़े लोगों के यहां यह लोग काम करते हैं जहां न्याय के हाथ नहीं पहुंचते हैं । इन लोगों के लिए भी कानून बनाना होगा ।

कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो राजनीतिक संस्थाओं में काम करते हैं । उन बेचारों को तन्ख्वाह नहीं मिलती । सुबह चार बजे उठकर परेडें करते हैं, झंडा सलामी में अन्य मामले सम्भाले रहते हैं, नेताओं के थैले उठाए रहते हैं। रात दिन वह काम करते हैं । पता नहीं किस सुनहरे स्वप्न के आधार पर, और पता नहीं उन्हें क्या दिया जा रहा है—सिर्फ धोखा और भूख ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : समाजवाद ।

श्री शशि भूषण : उनको धर्म का स्वप्न दिखलाया जाता है । पता नहीं इसमें क्या उद्देश्य है । उन बेचारों को एक्सप्लायट किया जाता है इन तथा कथित सांस्कृतिक संस्थाओं के द्वारा मैं चाहूंगा कि उनके लिए भी कुछ किया जाए । वह भी एक तरह की साम्प्रदायिक दूकानें हैं ।

17 hrs.

इस शहर में सबसे अधिक ज्ञान की दूकानें हैं । बौद्धिक शाखाओं की बात सिर्फ नहीं करता हूं । मैं उनकी बात करता हूं जैसे करोल बाग में बी०ए० और एम०ए० की दूकानें खुली हैं, पांचवी जमात से लेकर एम०ए० तक की पढ़ाई एक ही जगह पर होने के साइन बोर्ड आपको मिल जाएंगे । सुबह से लेकर रात तक ये शिक्षा की दूकानें चलती हैं । वहां शिक्षकों को पैसा मिलता है या नहीं, कोई नहीं जानता, वहां चौकीदारों की क्या हालत है, उसका किसी को पता नहीं हो सकता । उनके बारे में भी हमारे हाथ कुछ लम्बे होने चाहिएं । शाप्स एण्ड एस्टैबलिशमेंट्स बिल पर जब चर्चा करते हैं तो ये सारे प्रश्न भी उस में शामिल होते हैं। यह जो कदम आपने उठाया है यह बहुत अच्छा है लेकिन इसमें हम कितनी दूर तक कामयाब होंगे, यह भविष्य में देखने वाली बात है । ये जो दूसरे कर्मचारियों की बात मैंने आपको बताई, उनके बारे में भी इस बिल पर विचार होना चाहिए ।

मैं खास तौर पर हाकर्ज की बात भी करना चाहता हूं । सुबह से लेकर शाम तक वे अखबार बेचते फिरते हैं, उनको क्या मिलता है, क्या नहीं, उनकी क्या शक्ल है, कभी-कभी तो उनको कमीशन बेसिस पर रखा जाता है, उनकी दशा पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए । कई बार तो ऐसा भी होता है कि अखबारों का कोई बड़ा ठेकेदार ठेका ले लेता है और आगे कमीशन एजंट रख लेता है और उसके बाद आगे काम चलता है और हाकर वगैरह रख लिए जाते हैं । कुछ को तो माहवारी तनख्वाह मिलती है, कुछ को कमिशन पर रख लिया जाता है । ऐसे लोगों की तादाद बहुत बड़ी है । ये जो हाकर्ज हैं, जो हमवाल हैं, घरेलू कर्मचारी हैं । जो रंगीन क्लबों में काम करने वाले लोग हैं, इनकी तरफ भी आपका ध्यान पुन: जाना चाहिये । पहले तो इन क्लबों पर नियंत्रण होना चाहिये । सब कर्म-चारियों के लिए कानून एक होना चाहिए । यह कानूनी अधिकार भी होना चाहिए कि ये लोग अपनी यूनियंज़ बना सकें । ये मेहनतकश भी देश के नागरिक हैं । अगर यही हालत रही तो

[श्री शशि भूषण]

दस साल के बाद ये जुल्म करने वाले नजर नहीं आएंगे। ये सिसकती हुई जिन्दगी न बितायें, सीना तान कर और सिर उठा कर चल सकें, इस ढंग का न्यायपूर्ण माहौल आपको बनाना चाहिये। इस कदम के लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन दूसरे कर्मचारियों को भी इस बिल में शामिल किया जाए जिनका मैंने जिक्र किया, यह मेरी दरख्वास्त है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : इस प्रगतिशील बिल के लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं और इस बिल का मैं स्वागत करता हूं। मैं दिल्ली प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं कि उसने एक नई दिशा दी है इस देश को; और इस शहर में दूकानों पर काम करने वाले मजदूरों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। सरकार ने जल्दी इस बिल को उपस्थित किया, इसके लिए मैं उसको भी धन्यवाद देता हूं। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने और भी कई अच्छे-अच्छे बिल बनाकर यहां भेजे हुए हैं लेकिन उनके साथ सरकार सौतेली मां का सा व्यवहार कर रही है। अगर देशहित को आप अपने सामने रखें तो आपको उन बिलों को भी जिनको दिल्ली प्रशासन ने पास करके आपके पास भेजा हुआ है, जल्दी से यहां लाना चाहिए। उन बिलों को यहां न लाने का कारण शायद सरकार के दिमाग में यह हो कि दिल्ली प्रशासन का नाम होगा अगर वे बिल पास कर दिए गए, उनको यहां लाया गया और हो सकता है कि उसकी जड़ें दिल्ली में जम जाएं। लेकिन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जड़ें जमाने के लिए बहुत कुछ कार्य जनता में सीधे कर रही है, इस वास्ते आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी आप जो इस बिल को यहां लाए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

दिल्ली शहर में ही नहीं भारतवर्ष के प्रत्येक बड़े शहर में नौकरों की अवस्था बहुत दयनीय रही है। दूकानें खुलने या उनके बन्द होने का कोई समय नहीं था। आदमी दूकान में बैठकर चिराग जलाकर दस ग्यारह बजे तक काम करते हैं और मजदूर भी उनके साथ काम करते थे। सुबह बिना नहाए या मुंह धोए आकर छः बजे दूकान खोल दी और नौकर को भी बुला लिया और रात के ग्यारह बजे तक दूकान खुली रही और बन्द होने के बाद नौकर को कहा कि मेरा सामान यहां से घर ले जा, कपड़े धो अर्थात् दुनिया भर के काम उस बेचारे से लिए जाते थे। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए 1954 में दिल्ली विधान सभा ने इस विषय को अपने हाथ में लिया और एक एक्ट बनाया। लेकिन वह अधूरा था। उसमें बहुत से मजदूर आने से रह गए थे। एप्रेंटिस लोग, ऐसे लोग जिनको कमिशन पर काम करने के लिए लगाया गया और वे लोग जो ठेके पर काम करते हों, ये लोग उनके परव्यू में आने से रह गए थे और वे लोग उस एक्ट से वंचित थे, अब उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है। एक्ट की इस कमजोरी को दिल्ली प्रशासन ने इस विधेयक के द्वारा दूर किया है।

अभी हमारे भाई इमाम साहब ने कहा कि उन लोगों से जो इससे सम्बन्धित हैं, सलाह ली जानी चाहिये थी। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि दिल्ली प्रशासन ने इस बिल को पारित करने से पहले बहुत गहराई के साथ इसका अध्ययन किया और सलाह मश्विरा भी दिया। मैं यह जानकारी भी उनको देना चाहता हूं कि दिल्ली प्रशासन में अधिकांश लोग बड़े दूकानदार नहीं हैं, अपितु मजदूर लोग हैं जो वहां पहुंचे हुए हैं। उन्हें मजदूरों की कठिनाइयों का अनुभव है। उन लोगों में जो बेचैनी थी उसको अनुभव करके ही इस विधेयक को वहां किया था।

अभी कहा गया है कि इस विधेयक को उन्हीं दूकानदारों पर लागू किया जाना चाहिये। जो नौकर रखते हैं, जो स्वयं काम नहीं करते हैं। जो स्वयं काम करते हैं उन पर यह लागू नहीं होना चाहिये। उनको शायद ध्यान नहीं या उनको अनुभव नहीं दूकानों का। मैं ऐसे

दूकानदारों को जानता हूं जो प्रातःकाल बच्चों को सोते हुए छोड़ कर आते थे और दूकान खोलते थे और रात को जब वे घर जाते थे दूकान बन्द करके ग्यारह बजे के बाद तो बच्चे सोये हुए वे पाते थे। बच्चों को यह पता ही नहीं होता था कि हमारा बाप कौन है। बाप तो होता था वे उसे पहचान नहीं सकते थे। उनका पारिवारिक जीवन लगभग समाप्त सा हो गया था। इस बिल को लाकर मैं तो समझता हूं कि उन लोगों पर बहुत बड़ी कृपा हुई है। अपनी दूकान पर आप काम करने का मतलब यह नहीं है कि कोई आदमी आत्महत्या करले। वह यह कहे कि मैं खुद का स्वयं मालिक हूं, इस वास्ते मैं आत्महत्या करना चाहूं तो कर सकता हूं,। अगर जहर खाना चाहूं तो खा सकता हूं, अपने को रिवाल्वर से मारना चाहूं तो मार सकता हूं। आप मुझे रोकने वाले कौन हैं। परन्तु जो पैदा हुआ है उसको सरकार द्वारा मरने नहीं दिया जा सकता है। आत्महत्या करना पाप है, और कानून जुर्म है। इस प्रकार से कोई दूकानदार अपने और अपने परिवार के साथ अगर अन्याय करता है तो उसको ऐसा करने की इजाजात नहीं दी जा सकती है। इंग्लैंड में मुझे लंदन में जाने का मौका मिला। वहां मैंने देखा कि अपने बच्चों के साथ भी अगर कोई अन्याय करता है और पड़ोसी उसकी शिकायत कर दे और कह दे कि यह अपने बच्चों को बहुत मारता है और उनको बहुत तंग करता है तो उसके खिलाफ भी गवर्नमेंट कानूनी कार्रवाई करती है। इसलिए वहां बच्चों तक को प्रसन्न रखने की चेष्टा की जाती है। इसलिये बिल को सब पर भी लागू करके बहुत अच्छा काम किया जा रहा है।

नियम बना दिया गया है कि अमुक समय पर दूकानें खुलें और फलां समय पर बन्द हों। नहा धो कर और बच्चों के साथ जलपान करके आराम से जाओ और शाम को सूर्य छिपने के बाद जल्दी दूकान बन्द करके जाओ और बच्चों के साथ बैठ कर भोजन करो। इसके अतिरिक्त एक दिन की छुट्टी भी तय कर दी गई है और कहा गया है कि एक दिन की सप्ताह में छुट्टी हो। छुट्टी के दिन आप अपने बच्चों को लेकर अपने रिश्तेदारों के साथ मिलने के लिए ले जाओ। ताकि सामाजिक जीवन बना रहे। इतना ही नहीं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाने का भी आपको समय मिल सके। दूकान खुलने और बन्द होने का समय नहीं रखा जाता है तो वह यहां जा नहीं सकता है। तब सामाजिकता से शून्य उसका जीवन बन जाएगा और उस अवस्था में राक्षसी प्रवृत्ति का पैदा होना स्वाभाविक है। अगर वह धर्म स्थलों पर जाएगा तो धार्मिक जीवन भी बिताएगा और पाप करने से कुछ तो वह डरेगा। इमाम साहब ने दूकानें बन्द होने के दिन का जिक्र किया है। इसके बारे में भी यहां प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इसकी उसको पहले से सूचना देनी होगी कि फलां दिन वह दूकान बन्द रखेगा। यह इसलिए किया गया है ताकि इंस्पेक्टर जाकर देख सके कि उस दिन वह बन्द करता है या नहीं करता है। इस सब के बावजूद भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूं दिल्ली तक में कि वे छुट्टी के दिन दूकान का सामने वाला दरवाजा तो बन्द रखते हैं लेकिन अन्दर बैठे रहते हैं और ग्राहक को चुपके से अन्दर बुलाते रहते हैं। छुट्टी के दिन भी वे दूकान चालू रखने की कोशिश करते हैं। इस वास्ते इस प्रकार का प्रतिबन्ध बहुत आवश्यक था।

माननीय सदस्य ने कहा है कि यह कानून ऐप्रेनटिसिज, कमीशन पर काम करने वालों और पीसमील काम करने वालों पर लागू नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि उनके प्रति अन्याय होगा। आप मुझ से सहमत होंगे कि दुकानदार इस प्रकार के रास्ते जानता है कि इस कानून से कैसे बचा जाये। वह किसी व्यक्ति को नौकर के रूप में रखते हुए भी उसको नौकर न कह कर ऐप्रेनटिस कहता है। कोई व्यक्ति अपनी ग़रीबी के कारण दुकानदार के पास नौकर होता है। उसकी गरीबी का नाजायज फ़ायदा उठा कर दुकानदार उसका नाम रजिस्टर में न लिख कर कहता है कि वह ट्रेनिंग ले रहा है, ऐप्रेनटिस है। आप को सुन कर आश्चर्य होगा कि ऐसे व्यक्ति भी एप्रेनटिस कहे जाते हैं, जिन को काम करते

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

हुए पांच दस साल हो गये हैं। दिल्ली प्रशासन ने इस प्रकार की शिकायतों को देखने के बाद ही यह निश्चय किया कि ऐसे लोग नौकर समझे जायेंगे। जहां तक कमीशन एजेन्ट का प्रश्न है, जो व्यक्ति पेड वर्कर के रूप में काम करते हैं, और कमीशन अलग से लेते हैं, जो नौकरों की तरह काम करते हैं, उन पर भी यह विधेयक लागू किया गया है, यह बहुत अच्छी बात है।

यह भी कहा गया है कि इस विधेयक में प्राविडेंट फंड और पेन्शन के बारे में भी व्यवस्था की जानी चाहिए। प्राविडेंट फंड के बारे में तो कोई व्यवस्था कुछ सीमा तक हो सकती है, लेकिन पेन्शन की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है। पेन्शन तो वहां दी जाती है, जहां एक स्थाई विभाग हो। जो दूकान है, अगर कल उस का दीवाला निकल गया, तो नौकर को पेन्शन कौन देगा? इस लिए इस बारे में कोई व्यवस्था इस विधेयक में नहीं की जा सकती है।

यह भी कहा गया है कि घरेलू मजदूरों पर विधेयक को लागू नहीं किया गया है। मैं श्री शशिभूषण से कहना चाहता हूं कि वह उन लोगों के हमदर्द तो हैं, लेकिन कभी कभी मूर्ख दोस्त भी घातक सिद्ध होता है। मैं उनको मूर्ख तो नहीं कहता हूं। वह बहुत समझदार है। लेकिन उन्होंने पार्ट उसी का अदा किया है। उदाहरणार्थ घरेलू मजदूरों की जो यूनियन बनी है, उस के द्वारा कुछ घरों के सामने "हाय हाय" करने का परिणाम यह हुआ है कि जो लोग पहले अपने घर में नौकर रखते थे, उन्होंने भी उन को निकाल दिया है और अपने हाथ से रोटी बनाना शुरू कर दिया है। इस प्रकार सैकड़ों लोगों को घरों से निकाल दिया गया है। आखिर यूनियन वालों को तो कोई काम चाहिए। उन्होंने एक एक, दो दो रुपये चन्दा जमा कर के लाखों रुपये जमा कर लिये हैं। उनके "हाय हाय" करने से कई लोगों ने अपने घरेलू मजदूरों को निकाल दिया है। अगर इस कानून को घरेलू मजदूरों पर भी लागू कर दिया जायेगा, तो बाकी घरेलू मजदूरों को भी भगा दिया जायेगा।

श्री शशिभूषण ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाओं के बारे में कुछ कहा है। मैं उनकी सूची में एक ऐडीशन करना चाहता हूं। कैजुअल लेबर का एक और वर्ग है, जिसे दो रुपया दे कर किसी बड़ी पर्सनैलिटी का स्वागत करने के लिए पालम हवाई अड्डे पर ले जाया जाता है। उनको ट्रकों में भर कर वहां ले जाया जाता है और वे "जय" के नारे लगा कर आने वाले व्यक्ति का स्वागत करते हैं। एक बार की घटना है कि किसी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए ऐसे लोगों को तीन ट्रकों में भर कर ले जाया गया। कोई अन्य अधिकारी भी आ रहा था। उन बेचारों को पता नहीं था कि किस का स्वागत करना है। जब उस व्यक्ति के गले में मालायें पहनाई गईं, तो उन्होंने भी "भारत माता की जय" के नारे लगाये। इसके बाद वे वापिस जाने के लिए ट्रक पर जा बैठे। तभी उनके ठेकेदार को पता लगा कि अभी उन का लीडर नहीं आया है। उन्होंने ट्रक रोकने के लिए कहा। उन मजदूरों ने कहा कि ठेका तो एक का स्वागत करने का हुआ था; हम दूसरे का स्वागत नहीं करेंगे; अगर दूसरे का स्वागत कराना है, तो तीन-तीन रुपये और दो। सो उन बेचारों का भी ध्यान रखना चाहिए।

अन्त में मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सरजू पाण्डेय (ग़ाज़ीपुर) : सभापति महोदय, जो बिल सदन के सामने आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हमारे देश में दो तरह के विचार रखने वाले लोग हैं और जब तक बुनियादी रूप से इस बात को स्वीकार नहीं किया जायेगा, तब तक मजदूरों की समस्या हल नहीं होगी। प्रथम विचार तो यह है, जो जनसंघ के एक साथी ने आज सुबह व्यक्त किया, कि हमारे देश में कुछ दुर्जन लोग हैं, जो दूसरों

की सम्पत्ति को देखकर जलते हैं।

एक माननीय सदस्य : जनसंघ के नहीं, स्वतंत्र पार्टी के।

श्री सरजू पाण्डेय : स्वतन्त्र पार्टी के होंगे। मुझे मालूम नहीं है। वैसे, दोनों दलों में कोई फर्क नहीं है। दोनों की विचारधारा एक ही है। व्यास ने बताया है कि सही मानों में सम्पत्ति का मूल आधार क्या है : " न छित्वा परमर्माणि, न कृत्वा कर्म दुष्कर्म, न हत्वा मत्स्य-घातीव, प्राप्नोति महतीं श्रीं।" बड़ी सम्पत्ति कैसे मिलती है ? जब तक तुम निर्दयतापूर्वक मछुए की तरह दूसरे का मर्मस्थल नहीं छेदोगे, तब तक बड़ी सम्पत्ति नहीं मिल सकती है। जब तक यह उपरोक्त विचार रखने वाले लोग (दूसरों की सम्पत्ति देख कर जलने वाले दुर्जन लोग) चाहे उधर या इधर रहेंगे—ज्यादा इधर मैं, यह मैं मानता हूं—, तब तक देश में मजदूरों का कल्याण नहीं हो सकता है।

हम मजदूरों के बारे में छोटी-छोटी एमेंडमेंट करते हैं। कभी दुकानों में काम करने वाले मजदूरों को ले लिया, कभी घरेलू मजदूरों, कभी गांवों में बर्तन मांजने वाली, कभी हलवाहों और कभी बाल बनाने वालों को ले लिया। सरकार को मूल रूप में मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार लाना पड़ेगा।

अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि चूंकि मजदूर यूनियन के लोगों ने कुछ घरों के सामने "हाय हाय" की, इसलिए कुछ मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन स्थिति यह है कि सैकड़ों घरों में मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जाती है। अगर उनकी यूनियन बनती है, तो कहा जाता है कि मजदूर यूनियन वाले झगड़ा मचाते हैं और इसलिए लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन 75 फीसदी घरों में नौकरों के साथ जानवरों का सा व्यवहार किया जाता है। उस को कैसे रोका जाये ? या तो यूनियन उसके लिए लड़े और या सरकार कानून बनाये। बीच का कोई मार्ग नहीं है।

इसी तरह हमारे देश में सैकड़ों अनैतिक व्यापार चलते हैं। होटलों में नंगे डांस होते हैं। उनमें नेता भी बैठते हैं—पैसे वाले नेता, दरिद्र आदमी वहां नहीं जा सकते हैं—और ज्यादातर अफ़सर भी बैठते हैं। (**व्यवधान**) इस तरह के नौकरों के लिए क्या किया जाये ? इस देश में ये अनैतिक व्यापार बन्द किये जायें और लोगों को कम से कम आदमी का सा बर्ताव तो मिले, यह नियम इस देश में बनना चाहिए।

सरकार चाहे कोई भी कानून बनाये, लेकिन कानून को लागू करने वाले लोगों की क्या स्थिति है। कहा गया है कि छुट्टी के दिन भी दुकानें खुली रहती हैं। सरकार कुछ दिनों को ड्राई डे घोषित करती है, लेकिन उन दिनों भी शराब बिकती रहती है। सरकार प्राहिबिशन लागू करती है, लेकिन इलाहाबाद में हमारी जुडिशरी ने कहा कि प्रोहिबिशन नहीं कर सकते। आपने अखबार में यह बात पढ़ी होगी। जिस जुडिशरी के बारे में माननीय सदस्य बड़ी श्रद्धा रखते हैं, उसने ही ऐसा किया है। (**व्यवधान**) शायद मुझ पर भी कनटेम्प्ट का केस चलाया जाये कि तुम ने हाऊस में यह बात क्यों कही। लेकिन मुझे परवाह नहीं है। जो हकीकत है, वह तो कही जायेगी। या तो प्राहिबिशन का धन्धा ही खत्म कर दिया जाये। कौन पीता है, कौन नहीं पीता है, खाह-म-खाह ऐसा सवाल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो पीना चाहता है, वह पीये। ऐसा कानून बनाने से कोई लाभ नहीं है, जिस पर अमल न हो। तो यह जो ऐक्ट आया है, यह तो आपने ठीक ही किया है कि इसमें संशोधन आप कर रहे हैं लेकिन ऐसे लोगों को भी इसमें लेना चाहिए। घरेलू मजदूरों के लिए नियम बनाने चाहिए। हमारे देश में हजारों लाखों आदमी स्टेशनों पर काम करते हैं, कुली लोग हैं उनके लिए भी कानून बनना चाहिए। इसके अलावा और दूसरी जगहों पर भी लोग काम करते हैं, बेयरा और दूसरे लोग हैं इनके लिए भी इसके अन्दर व्यवस्था करनी चाहिए। आप यूरप की बात

[श्री सरजू पाण्डेय]

करते हैं। यूरप में कहीं कुली होते हैं ? वहां सब लोग अपना सामान अपने हाथ ढोते हैं। त्यागी जी कह रहे थे, लंदन में कोई कुली आप को नहीं मिलेगा। क्यों यहां कुली रखे जाते हैं ? क्यों किसी आदमी को स्पीकर रखते हैं ? आजादी के 22 वर्ष बाद भी किसी आदमी को मजबूर किया जाय पाखान साफ करने के लिए यह हमारे लिए शर्म की बात है। इस आजादी का कोई मतलब नहीं है। आप एबालिश कर दीजिए इस चीज को। कहा जाता है काम नहीं मिलता है। काम इसलिए नहीं मिलता कि पूंजीपतियों की नीति ऐसी है। काम तो इस देश में इतना है कि यह लोग मुनाफा कमाने के लिए गरीबों को रात दिन जान से मारते हैं और उनके लिए कोई एक बार आवाज उठाने वाला नहीं है, न इस सदन में और न बाहर। रात दिन गरीबों पर हमला करके उनको मारना, उनकी मजदूरी काटना, उन्हें बर्बाद करना और इसी से उनके यहां सम्पत्ति का अम्बार लगा हुआ है। इसके बारे में सरकारी रिपोर्टों में यह बात कही गई है कि अरबों और खरबों की सम्पत्ति हो गई है। जो कल तक सुई बेच रहे थे वह आज हिन्दुस्तान में दौलत के मालिक बन गए। करोड़ों रुपया इन्होंने, करोड़पतियों ने कमाया है और सिर्फ गरीबों का गला काटकर कमाया है। इसीलिए उनको हम, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आदमी की कैटेग्री में रखना नहीं चाहते हैं। त्यागी जी उनके बड़े एडमायरर हैं, उनकी बड़ी तारीफ किया करते है······(**व्यवधान**)···वही जो धनी लोग हैं, बिड़ला, टाटा, डालमिया, सिंघानिया और उनके प्रतिनिधि यहां बैठ कर नक्सलवादियों को गाली देते हैं कि यह बम मारते हैं। यह सैंकड़ों हजारों मजदूरों को रोजाना मारते हैं तो कुछ नहीं कहते।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : हम नक्सलवादियों को भी गाली देते हैं और टाटा, बिड़ला को भी गाली देते हैं।

श्री सरजू पाण्डेय : आप उनको गाली नहीं देते हैं। इसी सदन में आपने उनकी मदद करके दिखाया है। हमारा कहना यह है कि हमारे देश में बुनियादी परिवर्तन आप लाइये। छोटे मोटे कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। इस देश में शोषकों को समाप्त कीजिए। जब तक यह विचार देश से मरेगा नहीं, गरीबों को आराम मिल नहीं सकता है। यह छोटे मोटे परिवर्तन करने से कोई लाभ नहीं है। यों तो कुछ भी आप करेंगे उससे कुछ लाभ होगा, बड़े बड़े दो चार आदमी लाभ उठायेंगे। मगर हमारा कहना यह है कि इसके स्कोप को बढ़ाइये और एक काम्प्रिहैंसिव बिल ले आइए अपने देश के मजदूर वर्ग के लिए जो सही माने में प्रताड़ित है, दुखी है, जिसको यहां का आदमी आदमी नहीं समझता है। वह तभी हो सकता है जब उसके लिए कानून और साथ साथ जरा मज़बूत डंडा हो ताकि उसपर अमल कराया जा सके। यह नौकरशाह क्या कभी उस पर अमल करा सकते हैं जो रात दिन खुद शोषण करते हैं ? आप इंसपेक्टर को रख रहे हैं। इंसपेक्टर क्या कभी न्याय कर सकता है ? वह कभी नहीं करायेगा। इंसपेक्टर उलटे कुछ और कमाने के लिए रास्ता पा जायेगा, कुछ और उसको पैसा मिलेगा, वह कुछ और मज़े से रहेगा और उस लेबर से भी लेगा। इसलिए हमारा कहना इस सिलसिले में यह है कि यह कानून ठीक है, इससे हमारा कोई इतराज नहीं है, लेकिन इसके स्कोप को बढ़ाइये, घरेलू मजदूरों को भी इसमें लाइये और दूसरे पेशे के मजदूरों को भी लाइये, उनकी यूनियन बनाइये। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपरैंटिस को क्या ला दिया ? त्यागी जी ने ठीक जवाब दिया कि फिर आप अपरैंटिस बनाकर रखेंगे। आपने कानून बनाया कि एक फर्म में जहां दस आदमी परमानेन्ट रखते हैं वहां यह लागू होगा तो उन्होंने परमानेन्ट किसी को रखा ही नहीं, हर आदमी को टैम्पोरेरी रखा और उनका कभी रिकार्ड दफ्तर में रखा ही नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह कानून पास हो लेकिन इसके साथ साथ एक काम्प्रिहेंसिव कानून हमारे

देश में लाया जाये ताकि बुनियादी परिवर्तन हो और सही माने में हम जो समाजवाद इस देश में लाना चाहते हैं वह पूरा हो। वह तभी हो सकता है जब उसके लिए मजबूत कदम उठायेंगे और देश में ऐसा कानून लायेंगे। इस तरह से हम इनका भी दिमाग बदलेंगे क्योंकि कानून बनाने वाला कोई और है और अर्थ लगाने वाला दिल्ली में और बैठा है और अमल करने वाला गांव में थानेदार है। असल में रीयल मालिक कौन है? रेवेन्यू में लेखपाल, एडमिनिस्ट्रेशन में थानेदार और अर्थ लगाने के लिए जुडीशियरी बैठी है। हम कानून बनाते हैं कुछ तो, वह अर्थ लगाते हैं कुछ। जबतक यह चीज रहेगी तबतक इस देश में कुछ चलेगा नहीं। लेजिस्लेचर की जो मंशा हो और जो हम इस देश में चाहते हैं अगर उसी तरह से हम देश को ट्रेन करेंगे तब इस देश में कुछ हो सकता है।

श्री मुहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : सभापति महोदय, दिल्ली शाप्स एण्ड इस्टैबलिशमेंट अमेंडमेंट बिल जो यहां लाया गया है उसके सिलसिले में मुझे यह कहना है कि जहां तक शाप्स एण्ड इस्टैबलिशमेन्ट ऐक्ट का ताल्लुक है, यह हमारे प्रान्त का और दूसरी जगहों का तजुर्बा है कि जिन भाइयों के बेनिफिट के लिए यह बनाया गया था वहीं सबसे ज्यादा करप्शन शुरू हुआ। इस ऐक्ट के मातहत चीफ इंस्पेकटर और उनसे इन्स्पेकटर तमाम दूकानदारों से महीना ठीक कर लेते हैं कि दो रुपया, तीन रुपया महीना एक एक इलाके का देंगे और वहां पर जो नाम रजिस्टर में नहीं रखते हैं, जैसे भी चाहे मजदूरों को इस्तेमाल करें, उनका राज उसी प्रकार से चल रहा है। यह ऐक्ट जो है आल इंडिया, इसमें दूकान बन्द करने के लिए कुछ हुआ है और मुलाजमों के लिए कुछ कुछ सुविधायें हुई हैं मगर वह भी स्टेट को जरिए से नहीं कि स्टेट को सामने रखकर किया हो। आन्दोलन करके किसी जगह वह कुछ हासिल कर सके हैं तो वह उन्होंने किया हैं। इसी तरह से मैं इस ऐक्ट में देख रहा हूं कि इसका जो उद्देश्य है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो एम्प्लाईज दूकानों में काम कर रहे हैं, होटलों में काम कर रहे हैं उनको कुछ सुविधा पहुंचाई जाये मगर जानते हैं इस ऐक्ट के अन्दर वह नहीं आते हैं जो प्राइवेट ड्राइवर्स हैं और लाखों की तादाद में वह हमारे हिन्दुस्तान में हैं। वह न किसी शाप्स एण्ड इस्टैबलिशमेंट ऐक्ट में आते हैं, न किसी और ऐक्ट में आते हैं। उसके बाद ट्रकों में काम करने वाले कुली और ड्राइवर्स हैं, वह भी किसी कानून के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इस शाप्स एण्ड इस्टैबलिशमेंट ऐक्ट के अन्दर भी नहीं आते हैं और लाखों की तादाद में वह हैं। दिल्ली के प्रशासन में अभी त्यागी जी ने कहा है कि हमने बहुत बड़ा काम किया है पर मैं कहता हूं दिल्ली में ट्रकों के ड्राइवर और कुली लाखों की तादाद में हैं, एक ने भी उनका जिक्र नहीं किया कि उनको इसके अन्दर क्यों नहीं लाया गया? उनको क्यों छोड़ दिया? क्यों उनकी तनख्वाह मारी जाती है? किस तरह से उनके साथ व्यवहार होता है, यह किसी ने नहीं बताया। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि जो कमीशन में काम करते हैं या जो अपरैंटिस हों उनके लिए भी यह लागू होगा। ठीक बात है। मगर इसके साथ साथ जो मुलाजिम घरों में बड़े लोगों के काम करते हैं उनकी तो इन्सानों में गिनती ही नहीं है। किसी कानून के अन्दर वह नहीं पड़ते हैं। गुलामी करने के लिए उनको रख दिया गया है। 22 वर्ष की स्वाधीनता के बाद भी आज जितने बड़े बड़े घरों में नौकर काम करते हैं, औरतें काम करती हैं उनकी हालत इतनी बदतर है कि एक एक जगह का बयान करें तो शर्म से माथा नीचे कर लेना पड़ता है। आजादी के बाद यह हालत है। हमें उम्मीद थी त्यागी जी से कि वह कम से कम यह चीज कहते। दिल्ली बड़े लोगों का शहर है। यहां लाखों आदमी काम करते हैं मगर कोई प्रोटेक्शन उनको नहीं है, कोई बचाव नहीं है। मारते भी हैं, पैसा भी नहीं देते, तनख्वाह भी नहीं देते और मारकर निकाल देते हैं तो वह बेचारे कहां जायेंगे? यह हालत उनकी है। मारे

[श्री मुहम्मद इस्माइल]

मारे फिरते हैं। अगर इसका जिक्र वह करते और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन उनके बारे में कुछ कहता तो मैं मान सकता था लेकिन मैं देख रखा था कि हमारे आनरेबल मेम्बर वाजपेयी जी ने कहा कि उसको छोड़ो, उसको टच मत करो। उनकी यूनियन बनी तो कहते हैं कि उन्होंने घरों में जाकर हाय हाय किया। वह हाय हाय किस लिए करते हैं ?···

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण कल जारी रखिएगा।

अब साढ़े पांच बजे से आधे घंटे की चर्चा आरम्भ होगी।

17.29 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Contract with Japan for Iron Ore Export

SHRI S. R. DAMANI (Sholapur) : Mr. Chairman, Sir, this Half-an-Hour discussion arises out of my Short Notice Question of 17th April, 1970. As I did not get satisfactory replies to my supplementaries that day on this very important matter, I am raising today this discussion.

The M.M.T.C. has entered into an agreement to supply 71.7 million tonnes of ore to Japan in the next 10 years, that is, upto 1980, at a fixed price. The price has been fixed. This is one of the very big contracts entered into for the export of iron ore.

But if we examine the terms of the contract, we will find I will place before you this contract—that the terms are not at all favourable to us. The contract is more favourable to the buyer country. It is not done on an equal basis. If you go into the terms minutely, you will see that the terms are more favourable to the buyer country than to us. My first point is this : that out of this 71 million tonnnes of iron ore for which we have agreed to the price, upto the year 1974 i.e. in the next four years, we will be only supplying one-third of this quantity. About 18 million tonnes will be supplied in the next four years and the bulk supply will start after 1974. Is it reasonable? Is it a business proposition to agree to the price to-day for the bulk supply which we are going to start from 1974 ? If so, what are the advantages ?

Secondly, according to the figures which have been given by MMTC itself, what price they have agreed to in the contract has not been disclosed, but we can calculate from the figures given by them. The entire quantity is of the value of Rs. 535 crores. On that basis we can calculate. The per tonne realisation will be about Rs. 74. The present price is about Rs. 94. If my figures are correct and if my calculations are correct, in that case, we have entered into a contract and we have taken a big risk of supplying for a long period of 10 years at a low price. Is it a business proposition ? What are the considerations ?

Thirdly I want to say one thing. We have not taken into account the demand and supply and the price trend. The demand for iron ore is going to increase. Japan at present requires 80 million tonnes a year. In the next 10 years, after 1974 their production will increase gradually and they will require more ore. Their requirement will be 150 million tonnes, almost double. So, there is no need to hurry up and make the sales. When the demand is increasing, no business man will like to make a commitment in advance. If the demand is declining, then we can hurry up. When the demand is increasing and we know it and when their requirement is going to increase from 80 to 150 million tonnes and also in other countries the demand is increasing, at that stage we now enter into an agreement at a fixed price for 10 years—this thing is not understandable to me. Therefore, I would like to know as to what the considerations are when we made this commitment.

Another thing. Iron ore is the basic material for steel. Steel is in short supply. In the last 8 months the price of steel has increased by 40% and the present trend is that it is likely to go up further. When the prices of steel are likely to increase, the price of the basic raw material will also increase.